सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# गृह रक्षा विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2024-25

निष्काम सेवा

## निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# गृह रक्षा विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2024-25

निष्काम सेवा

निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

# विवरणिका


| | भाग—1 विभागीय सार—संक्षेप | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1.1 | भूमिका | 1 |
| 1.2 | संगठनात्मक ढाँचा | 1—2 |
| 1.3 | नियंत्रण | 2 |
| | भाग—2. निदेशालय का विवरण | |
| 2.1 | गृह रक्षा, निदेशालय | 3—4 |
| 2.2 | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान | 5 |
| | भाग—3. विभागीय कार्यप्रणाली | |
| 3.1 | गृह रक्षा के मुख्य कृत्य | 6 |
| 3.2 | गृह रक्षा की सीमा इकाई | 6—7 |
| 3.3 | गृह रक्षा की शहरी इकाई | 8 |
| 3.4 | शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन | 9 |
| 3.5 | सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन | 10 |
| 3.6 | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम | 11 |
| 3.7 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता | 12 |
| 3.8 | वार्षिक योजना | 12 |
| 3.9 | प्रशस्ति पत्र | 12 |
| 3.10 | विभागीय जांच एवं निलम्बन | 13 |
| 3.11 | प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग | 13—14 |

| | | |
|---|---|---|
| | **भाग–4. बजट प्रावधान** | |
| 4.1 | शहरी गृह रक्षा बजट मद | 15 |
| 4.2 | सीमा गृह रक्षा बजट मद | 16 |
| 4.3 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा | 16 |
| 4.4 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा | 17 |
| 4.5 | वृहद् निर्माण कार्य | 17 |
| 4.6 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 17 |
| **भाग–5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ** | | 18 |
| | परिशिष्ठ | |
| | (अ) विभाग का संगठानात्मक स्वरूप | 19 |
| | (ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण | 20 |

# वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

## भाग –1 विभागीय सार– संक्षेप

### 1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्व के दौरान ब्रिटेन में ''होमगार्डस'' नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्व के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए **''होमगार्ड''** संगठन मुम्बई में स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी–अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम **''होमगार्डस''** के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अधिनियम 1963 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 62 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवको का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को **''गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा''** दिवस मनाया जाता है।

### 1.2 संगठनात्मक ढाँचा :–

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ''परिशिष्ट–अ'' पर संलग्न है। गृह रक्षा की दो शाखाएं है। **सीमा गृह रक्षा तथा शहरी गृह रक्षा**

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में स्थित है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के 41 जिलों में से 33 जिलों में है। स्वयंसेवकों का विवरण ''परिशिष्ट–ब'' पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्डस नियम 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

**इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :–**

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां (समस्त जिला स्तर पर )।

## 1.3 <u>नियन्त्रण</u> :

1. यह विभाग राज्य में गृह विभाग के अधीन है तथा इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाईयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत है एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।

4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां राज्य के समस्त जिलो में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

# भाग – 2 निदेशालय का विवरण

## 2.1 गृह रक्षा निदेशालय :–

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय विद्याधर नगर जयपुर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 04.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याधर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये थे, तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129. 74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण होकर गृह रक्षा निदेशालय नवीन भवन में संचालित है। स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

| क्र. सं | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय पुलिस सेवा : | | | | | |
| 1. | महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | – |
| 2. | अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | – |
| 3. | महानिरीक्षक, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | – |
| राजस्थान गृह रक्षा सेवा : | | | | | |
| 1. | उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा | 2 | 2 | – | – |
| 2. | सीनियर स्टाफ ऑफिसर | 2 | 2 | – | – |
| 3. | जूनियर स्टाफ ऑफिसर | 1 | 1 | – | – |
| 4. | उप समादेष्टा (स्टोर) | 1 | 1 | – | – |
| 5. | उप समादेष्टा (एल.आर.) | 2 | 1 | 1 | – |
| राजस्थान लेखा सेवा : | | | | | |
| 1. | वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | – | |
| 2. | लेखाधिकारी | 1 | 0 | 1 | – |
| राजस्थान चिकित्सा सेवा : | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ चिकित्सक | 1 | 1 | – | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **विभागीय अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1 | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | — | — |
| 2. | कम्पनी कमाण्डर आर्मोरर | 1 | — | 1 | एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित। |
| 3. | निरीक्षक (एम.टी.) | 1 | — | 1 | — |
| 4. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | 1 | — | — |
| 5. | सूचना सहायक | 2 | — | 2 | — |
| 6. | प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) | 1 | — | 1 | — |
| 7. | प्लाटून कमाण्डर | 1 | 0 | 1 | — |
| 8. | मुख्य आरक्षी | 3 | 0 | 3 | — |
| 9. | मुख्य आरक्षी आर्मोरर | 2 | 1 | 1 | 1 मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 10. | आरक्षी | 14 | 12 | 2 | — |
| 11. | मशीनमैन | 1 | — | 1 | — |
| 12. | वाहन चालक | 1 | 1 | 0 | — |
| 13. | वार्ड ब्वाय | 1 | — | 1 | — |
| **लेखा अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी–प्रथम | 1 | 1 | — | 1 लेखाधिकारी पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय | 2 | 1 | 1 | — |
| 3. | कनिष्ठ लेखाकार | 3 | 0 | 3 | — |
| **मंत्रालयिक सेवा :** | | | | | |
| 1. | निजी सचिव | 1 | — | 1 | — |
| 2. | निजी सहायक | 2 | — | 2 | — |
| 3. | प्रशासनिक अधिकारी | 3 | 1 | 2 | 1 अति. प्रशा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 4. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 2 | 2 | 0 | — |
| 5. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 6 | 2 | 4 | — |
| 6. | वरिष्ठ सहायक | 8 | 8 | — | — |
| 7. | कनिष्ठ सहायक | 14 | 14 | — | — |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :** | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 6 | 3 | 3 | |
| 2. | स्वीपर | 1 | 1 | — | |
| | **योग** | **93** | **61** | **32** | — |

## 2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है । इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियां | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य सेवा :** | | | | | |
| 1. | निदेशक | 1 | 1 | – | – |
| 2. | उप समादेष्टा | 1 | 1 | – | – |
| **अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1. | सीनियर इंस्ट्रेक्टर | 1 | – | 1 | – |
| 2. | नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक | 1 | – | 1 | – |
| 3. | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | – | – |
| 4. | प्लाटून कमाण्डर | 3 | 1 | 2 | – |
| 5. | मुख्य आरक्षी | 6 | 1 | 5 | – |
| 6. | आरक्षी | 13 | 9 | 4 | – |
| 7. | बिगुलर | 2 | 2 | 0 | – |
| 8. | ड्रम मैन | 2 | 2 | 0 | – |
| 9. | कांस्टेबल ड्राईवर | 1 | 1 | 0 | – |
| **लेखा सेवा** | | | | | |
| 1 | सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय | 1 | 1 | 0 | – |
| **मंत्रालयिक सेवा :** | | | | | |
| 1. | संस्थापन अधिकारी | 1 | 1 | 0 | |
| 2. | प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | शीघ्र लिपिक (स्टेनो) | 1 | 1 | – | – |
| 5. | वरिष्ठ सहायक | 1 | 1 | – | – |
| 6. | कनिष्ठ सहायक | 2 | 2 | – | – |
| | **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :** | | | | |
| 1. | चौकीदार | 2 | 1 | 1 | – |
| 2. | कुक | 2 | 2 | – | – |
| 3. | कारपेन्टर | 1 | 1 | – | – |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2 | 1 | 1 | – |
| | **योग** | **47** | **31** | **16** | – |

# <u>भाग – 3 विभागीय कार्यप्रणाली</u>

<u>गृह रक्षा संगठन</u> :

## 3.1 <u>गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :–</u>

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है, जिसकी समय–समय पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागो जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

## 3.2 <u>सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियॉ)</u>

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक–एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियॉ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियॉ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य सेवा** : | | | | | |
| 1 | गण समादेष्टा | 4 | 3 | 1 | – |
| 2 | उप गण समादेष्टा | 4 | 2 | 2 | – |
| **अधीनस्थ सेवा** : | | | | | |
| 1 | कम्पनी कमाण्डर | 28 | 19 | 9 | – |
| 2 | प्लाटून कमाण्डर | 76 | 18 | 58 | – |
| 3 | प्लाटून कमाण्डर आर्मोरर | 4 | – | 4 | – |
| 4 | प्लाटून कमाण्डर एम.टी. | 4 | 1 | 3 | – |
| 5 | मुख्य आरक्षी | 24 | 11 | 13 | – |
| 6 | मुख्य आरक्षी एम.टी. | 3 | – | 3 | – |
| 7 | मुख्य आरक्षी आर्मोरर | 4 | – | 4 | – |
| 8 | वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक | 35 | 9 | 26 | – |
| 9 | आरक्षी | 103 | 11 | 92 | – |
| **अधीनस्थ लेखा सेवा :** | | | | | |
| 1 | सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय | 4 | 3 | 1 | – |
| **मंत्रालयिक सेवा** : | | | | | |
| 1 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 2 | 2 | – |
| 2 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 3 | 1 | – |
| 3 | वरिष्ठ सहायक | 4 | 3 | 1 | – |
| 4 | कनिष्ठ सहायक | 16 | 14 | 2 | – |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** : | | | | | |
| 1 | चौकीदार | 21 | 3 | 18 | – |
| 2 | स्वीपर | 27 | 9 | 18 | – |
| | **योग :** | **369** | **111** | **258** | |

## 3.3 शहरी गृह रक्षा (255 कम्पनियॉ) :–

राज्य के 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियॉ सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलो में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाईयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :–

| क्र.सं | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य सेवा** : | | | | | |
| 1 | समादेष्टा ( डिविजनल कमाण्डर ) | 12 | 9 | 3 | – |
| 2 | उप समादेष्टा | 21 | 18 | 3 | – |
| **अधीनस्थ सेवा** : | | | | | |
| 1 | कम्पनी कमाण्डर | 24 | 21 | 3 | – |
| 2 | प्लाटून कमाण्डर | 91 | 42 | 49 | – |
| 3 | मुख्य आरक्षी | 100 | 11 | 89 | – |
| 4 | वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक | 10 | 10 | 0 | – |
| 5 | आरक्षी | 99 | 63 | 36 | – |
| **अधीनस्थ लेखा सेवा :** | | | | | |
| 1 | सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय | 12 | 5 | 7 | – |
| 2 | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | 1 | 0 | – |
| **अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :** | | | | | |
| 1 | कम्पाउण्डर | 1 | 0 | 1 | – |
| **मंत्रालयिक सेवा** : | | | | | |
| 1 | प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 1 | 0 | – |
| 2 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 7 | 7 | 0 | – |
| 3 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 14 | 7 | 7 | – |
| 4 | वरिष्ठ सहायक | 26 | 17 | 9 | – |
| 5 | कनिष्ठ सहायक | 34 | 33 | 1 | – |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** : | | | | | |
| 1 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 19 | 19 | 0 | – |
| 2 | चौकीदार | 15 | 0 | 15 | – |
| 3 | कुक | 7 | 5 | 2 | – |
| 4 | स्वीपर | 6 | 1 | 5 | – |
| | **योग :** | **500** | **270** | **230** | – |

- वर्तमान में विभाग में 1009 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 473 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 536 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2024 तक की दर्शाई गई है।

**नियोजन** :

वर्ष 2024—25 में माह अप्रेल, 2024 से दिसम्बर 2024 तक शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :—

## 3.4 शहरी गृह रक्षा

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | रात्रिगश्त एवं यातायात ड्यूटी | 2090 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| | यातायात ड्यूटी | 400 | |
| | यातायात ड्यूटी | 500 | 16.10.2024 से 31.12.2024 तक |
| 2 | शासन सचिवालय, ड्यूटी | 466 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 3 | विधान सभा भवन की सुरक्षा, ड्यूटी | 12 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 4 | विधानसभा उप चुनाव 2024 | 3107 | 09.11.2024 से 14.11.2024 तक |
| 5 | राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 | 18400 | 16.04.2024 से 27.04.2024 तक |
| 6 | मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 | 4000 | 03.05.2024 से 13.05.2024 तक |
| 7 | दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 | 8000 | 21.05.2024 से 25.05.2024 तक |
| 8 | पंजाब लोकसभा चुनाव 2024 | 1000 | 29.05.2024 से 02.06.2024 तक |
| 9 | हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 | 5000 | 02.10.2024 से 06.10.2024 तक |
| 10 | संपूर्ण राज्य में न्यायिक आवासीय परिसर में नियोजन | 228 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| | | 57 | 22.11.2024 से 31.12.2024 तक |
| 11 | कारागार विभाग | 250 | 01.06.2024 से 31.12.2024 तक |
| | | 150 | 23.09.2024 से 31.12.2024 तक |
| 12 | अभियोजन विभाग | 232 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| | | 68 | 25.10.2024 से 31.12.2024 तक |
| 13 | बोर्ड पूरक परीक्षा | 27 | 12.08.2024 से 14.08.2024 तक |
| 14 | मेले /पर्वों के दौरान ड्यूटी | 91900 मैनडेज | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| | कानून—व्यवस्था ड्यूटी | 10810 मैनडेज | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 15 | पश्चिम मध्य रेलवे | 367 | 20.12.2024 से 31.12.2024 तक |
| 16 | आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्ध | 128 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |

## 3.5 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियॉ का विवरण :–

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर | 22 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 2 | सुपर थर्मल पॉवर प्लांट छबड़ा जिला बारां | 159 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 3 | छबडा सुपर क्रिटिकल तापीय विधुत परियोजना मोतीपुरा जिला बारां | 175 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 4 | सुजलान ग्लोबल सर्विसेज लि. जैसलमेर | 20 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 5 | काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़ | 189 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 6 | विद्युत विभाग बांसवाडा | 12 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 7 | केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर | 113 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 8 | एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाडमेर | 99 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 9 | वी.एस.लिग्नाईट पॉवर प्राईवेट लिमिटेड गुढा (बीकानेर) | 58 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 10 | रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर | 51 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 11 | मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा | 104 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 12 | रामगढ़ गैस थर्मल पावर आर जी.टी.वी.पी **(रामगढ़ जैसलमेर)** | 27 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 13 | गण कम्पनी मुख्यालय | 24 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 14 | हिल्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड देवीकोट, **जैसलमेर** | 26 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 15 | खान विभाग | 469 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 16 | राज. स्टेट मिनरल्स एण्ड़ माईन्स | 57 | 01.04.2024 से 31.12.2024 तक |
| 17 | खैरथल–तिजारा | 107 | 01.10.2024 से 31.12.2024 तक |
| 18 | राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 | 1600 | 16.04.2024 से 27.04.2024 तक |

## 3.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रम :

(अ) स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम :–

| क्र.सं | कोर्स का नाम | आवंटित सीटों की संख्या | अवधि | प्रशिक्षणार्थियों का स्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स | 36 | 06.05.2024 से 17.05.2024 तक | UHG VOL |
| 2 | बैसिक कम्प्यूटर कोर्स | 36 | 13.05.2024 से 24.05.2024 तक | महिला VOL |
| 3 | मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स | 36 | 20.05.2024 से 31.05.2024 तक | UHG VOL |
| 4 | फर्स्ट एड कोर्स | 36 | 03.06.2024 से 14.06.2024 तक | महिला VOL |
| 5 | सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स | 36 | 10.06.2024 से 21.06.2024 तक | UHG VOL |
| 6 | वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स II | 36 | 17.06.2024 से 28.06.2024 तक | UHG VOL |
| 7 | ड्रिल कोर्स II | 36 | 24.06.2024 से 05.07.2024 तक | UHG VOL |
| 8 | वैपन कोर्स II | 36 | 01.07.2024 से 12.07.2024 तक | UHG VOL |
| 9 | यातायात नियंत्रण कोर्स II | 36 | 08.07.2024 से 19.07.2024 तक | UHG VOL |
| 10 | लीडरशीप कोर्स II | 36 | 15.07.2024 से 26.07.2024 तक | UHG VOL |
| 11 | ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स II | 36 | 22.07.2024 से 02.08.2024 तक | UHG VOL |
| 12 | मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स II | 36 | 05.08.2024 से 16.08.2024 तक | UHG VOL |
| 13 | फायर फाइटिंग कोर्स II | 36 | 12.08.2024 से 23.08.2024 तक | UHG VOL |
| 14 | फर्स्ट एड कोर्स II | 36 | 19.08.2024 से 30.08.2024 तक | UHG VOL |
| 15 | सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स II | 36 | 26.08.2024 से 06.09.2024 तक | UHG VOL |
| 16 | ड्रिल कोर्स III | 36 | 02.09.2024 से 13.09.2024 तक | UHG VOL |
| 17 | वैपन कोर्स III | 36 | 09.09.2024 से 20.09.2024 तक | UHG VOL |
| 18 | यातायात नियंत्रण कोर्स III | 36 | 16.09.2024 से 27.09.2024 तक | महिला VOL |
| 19 | लीडरशीप कोर्स III | 36 | 30.09.2024 से 11.10.2024 तक | UHG VOL |
| 20 | यातायात नियंत्रण कोर्स IV | 36 | 04.11.2024 से 15.11.2024 तक | UHG VOL |
| 21 | फायर फाइटिंग कोर्स III | 36 | 11.11.2024 से 22.11.2024 तक | UHG VOL |
| 22 | ड्रिल कोर्स IV | 36 | 18.11.2024 से 29.11.2024 तक | UHG VOL |
| 23 | ड्रिल कोर्स V | 36 | 25.11.2024 से 06.12.2024 तक | महिला VOL |
| 24 | सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स III | 36 | 14.12.2024 से 25.12.2024 तक | UHG VOL |

## (ब) सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2024–25 :–

| क्र.सं | कोर्स का नाम | आवंटित सीटों की संख्या | अवधि | प्रशिक्षणार्थियों का स्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फायर फाइटिंग कोर्स | 36 | 27.05.2024 से 07.06.2024 तक | BHG VOL |
| 2 | बैसिक कम्प्यूटर कोर्स II | 36 | 29.07.2024 से 09.08.2024 तक | BHG VOL |
| 3 | मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स III | 36 | 23.09.2024 से 04.10.2024 तक | BHG VOL |
| 4 | ड्रिल कोर्स VI | 36 | 02.12.2024 से 13.12.2024 तक | BHG VOL |
| 5 | ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स | 36 | 14.10.2024 से 25.10.2024 तक | BHG VOL |

## 3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायताः–

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से होम गार्डस के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए पुलिस विभाग को स्वीकृत कुल राशि की 5 से 10 प्रतिशत राशि गृह रक्षा विभाग को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2024–25 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 320.90 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें विभाग को राशि रूपये 275.40 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

## 3.8 वार्षिक योजना :–

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर, अलवर, झुन्झुनूँ, बीकानेर एवं जालौर हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, टोंक, झुन्झुनूँ एवं जालौर में कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वित्त वर्ष 2025–26 में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलवर, धौलपुर एवं राजसमंद के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

## 3.9 प्रशस्ति पत्र :–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 62 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस, 2024 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 01 अधिकारी को महानिदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा ''रजत पदक एवं प्रशस्ति पत्र'' व 03 कार्मिक व 02 स्वयं सेवकों को ''कांस्य पदक एवं प्रशस्ति पत्र'' दिये जाने की घोषणा की गयी है।

62 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस– 2024 के अवसर पर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा 01 अधिकारी 05 कार्मिक 06 स्वयं सेवक को महानिदेशक एवं महासमादेष्टा प्रशस्ति पत्र एवं प्रशस्ति डिस्क प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 के दौरान 90 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

## 3.10 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :–

गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं | प्रकरण | 01.01.2024 को विचाराधीन प्रकरण | 01.01.2024 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण | योग | वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण | 31.12.2024 को लम्बित प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 सीसीए | 22 | 04 | 26 | 05 | 21 |
| 2. | 17 सीसीए | 02 | 03 | 05 | 05 | 00 |
| 3. | निलम्बन | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 |
| **योग :** | | **25** | **09** | **34** | **12** | **22** |

## 3.11 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग :–

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह–9/2005 दिनांक 31.01.2012 द्वारा महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी'** नियुक्त किया गया है, जिसकी पालना में फरवरी 2012 से विभाग में सिक्यूरिटी अनुभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :–

| क्र.सं | पदनाम | उपलब्ध |
|---|---|---|
| 1. | महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी) | 1 |
| 2. | अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 3. | महानिरीक्षक, पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। | 1 |
| 4. | सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 5. | जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 6. | कम्पनी कमाण्डर | 1 |
| 7. | वरिष्ठ सहायक | 1 |
| 8. | कनिष्ठ सहायक | 1 |
| 9. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |
| 10 | गृह रक्षा स्वयं सेवक | 2 |
| | **योग** | **11** |

**प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–**

1. राज्य में निजी सुरक्षा का कारोबार करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

**प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–**

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2024 तक कुल 3776 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 1962 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षो में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं | लाइसेन्स का विवरण | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 (दिनांक 31.12.2024 तक) |
| 1 | नवीन लाइसेन्स | 392 | 362 | 357 |
| 2 | लाइसेन्स नवीनीकरण | 64 | 63 | 57 |
| | कुल योग : | **456** | **425** | **414** |

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक आवेदन शुल्क राशि 1,20,67,500/– (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

# भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2024–25

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 होमगार्ड (01) शहरी गृह रक्षा

( राशि लाखो मे )

| लेखा शीर्ष | बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 | | | 31.12.2024 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 01– संवेतन | 3220.00 | 0.01 | 3220.01 | 2291.29 | 0.00 | 2291.29 |
| 03– यात्रा व्यय | 40.00 | 0.01 | 40.01 | 19.51 | 0.00 | 19.51 |
| 04– चिकित्सा व्यय | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05– कार्यालय व्यय | 276.00 | 0.01 | 276.01 | 27.43 | 0.00 | 27.43 |
| 08–वृतिक और विशिष्ट सेवायें | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 09– किराया, रेट और कर/रॉयल्टी | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 11– विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय | 4.00 | 0.01 | 4.01 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| 18– मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र | 400.00 | 0.01 | 400.01 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 19– विद्युत प्रभार एवं जल व्यय | 45.00 | 0.01 | 45.01 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
| 20– कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण | 90.00 | 0.01 | 90.01 | 52.82 | 0.00 | 52.82 |
| 29– प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 2000.00 | 0.01 | 2000.01 | 894.56 | 0.00 | 894.56 |
| 32– डिक्री प्रभार | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36– वाहनों का किराया | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37– वर्दीयां तथा अन्य सुविधाएं | 10.50 | 0.01 | 10.51 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
| 41– संविदा व्यय | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 32.99 | 0.00 | 32.99 |
| 42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 | 5699.12 | 0.00 | 5699.12 |
| **2070–00–107–01–00 योग :–** | **11876.53** | **0.09** | **11876.62** | **9063.29** | **0.0** | **9063.29** |

4.2 सीमा गृह रक्षा बजट मद

बजट मद– 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 – होमगार्ड (02) सीमा गृह रक्षा

**(राशि लाखों में)**

| **लेखा शीर्ष** | **बजट प्रावधान वर्ष 2024–25** | | | **31.12.2024 तक का व्यय** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राज्य निधि** | **केन्द्रीय सहायता** | **कुल** | **राज्य निधि** | **केन्द्रीय सहायता** | **कुल** |
| 01– संवेतन | 256.50 | 769.50 | 1026.00 | 178.40 | 546.69 | 725.09 |
| 03– यात्रा व्यय | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 0.97 | 2.90 | 3.87 |
| 04– चिकित्सा व्यय | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05– कार्यालय व्यय | 2.50 | 7.50 | 10.00 | 0.97 | 2.91 | 3.88 |
| 06– वाहनों का क्रय | 50.00 | 150.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08–वृतिक और विशिष्ट सेवायें | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 09– किराया, रेट और कर/रॉयल्टी | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 11– विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18– मशीनरी और साज – सामान/औजार एवं संयंत्र | 75.00 | 225.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19– विद्युत प्रभार एवं जल व्यय | 2.50 | 7.50 | 10.00 | 1.76 | 5.30 | 7.06 |
| 20– कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 4.32 | 12.95 | 17.27 |
| 29– प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 212.50 | 637.50 | 850.00 | 91.26 | 523.62 | 614.88 |
| 32– डिक्री प्रभार | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37– वर्दीयां तथा अन्य सुविधाएँ | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 0.49 | 1.47 | 1.96 |
| 42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 329.88 | 0.00 | 329.88 |
| **2070–00–107–02–00 योग** | **943.32** | **1837.80** | **2781.12** | **608.11** | **1095.84** | **1703.95** |

**4.3** पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– होमगार्ड (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(01) – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

**(राशि लाखों में)**

| लेखा शीर्ष | बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 | | | 31.12.2024 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 06 – वाहनो का क्रय | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 – मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070–00–107–03–01 योगः–** | **0.02** | **0.02** | **0.04** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**4.4** पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा
बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107 होमगार्ड – (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना
( 02) – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

**(राशि लाखों में)**

| लेखा शीर्ष | बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 | | | 31.12.2024 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 06– वाहनो का क्रय | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18– मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070–00–107–03–02 योग:–** | **0.02** | **0.01** | **0.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**4.5** वृहद् निर्माण कार्य
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
बजट मद 4059–80–051–05–02
(02) गृह रक्षा विभाग
गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

**(राशि लाखों में)**

| लेखा शीर्ष | बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 | | | 31.12.2024 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 17–वृहद् निर्माण कार्य | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग:–** | **500.00** | **0.0** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**4.6** अनुरक्षण एवं मरम्मत
2059 लोक निर्माण कार्य
बजट मद – 2059–80–053–41–01
(01) गृह रक्षा विभाग के भवनों की मरम्मत

**(राशि लाखों में)**

| लेखा शीर्ष | बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 | | | 31.12.2024 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेंटेनेंस) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 42.20 | 0.00 | 42.20 |
| **योग:–** | **60.00** | **0.00** | **60.00** | **42.20** | **0.00** | **42.20** |

## भाग – 5

**आलौच्य वर्ष 2024–25 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–**

1. राजस्थान विधानसभा उप चुनाव 2024 में 3107 स्वयंसेवकों का नियोजन कर शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराया गया है।
2. राज्य में लोक सभा चुनाव 2024 के अन्तर्गत 20,000 स्वयंसेवक तथा विभिन्न राज्यों मध्यप्रदेश में 4,000 दिल्ली में 8,000 पंजाब में 1000 एवं हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5,000 स्वयंसेवकों का नियोजन कर शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराया गया है, जिसमें प्रथम बार महिला स्वयंसेविकाओं को अंतर राज्य चुनाव ड्यूटियों में नियोजित किया गया।
3. गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नियोजन में पारदर्शिता हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन नियोजन की प्रक्रिया का परीक्षणोपरांत प्राथमिक तौर पर 05 जिलों दौसा, झुन्झुनू, बाड़मेर, सिरोही एवं हनुमानगढ में ऑनलाईन नियोजन प्रारम्भ कर दिया गया है।
4. पुलिस विभाग की मांग अनुसार मेले पर्वों एवं कानून–व्यवस्था ड्यूटियों के दौरान लगभग 1,02,710 मानव दिवसों हेतु स्वयंसेवकों का नियोजन किया गया है।
5. प्रत्येक जिला ईकाई स्तर से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 7907 स्वयंसेवकों को पुनः प्रशिक्षण, 5980 स्वयंसेवकों को अग्रिम प्रशिक्षण एवं 635 स्वयंसेवकों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया है।
6. राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर से 1044 स्वयंसेवकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
7. विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से कुल 483 का पंजीयन कर्मयोगी भारत पोर्टल पर हो चुका है तथा कुल 479 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में ऑनलाईन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया गया है।
8. पारदर्शिता के मद्देनजर राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम– 2022, के नियम 3 उपनियम 9 एवं 10 द्वारा नवीन लाइसेंस एवं लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन तथा आवेदन शुल्क केवल ऑनलाईन ही प्राप्त किया जावेगा, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19.11.2024 से प्रभावी है।
9. गृह रक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 1 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक कुल 10384 की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है।
10. लगभग 20 वर्षो उपरान्त विभाग में नवनियुक्त आरक्षीयों की दिनांक 18.12.2024 को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा, जयपुर में दीक्षान्त परेड समारोह का आयोजन किया गया।
11. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024–2025 में स्वयं सेवकों के कुल नियोजन में 8.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिशिष्ठ 'अ'

# गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

# परिशिष्ट 'ब'

| शहरी होमगार्ड्स की स्वीकृत/ऑनरोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | जिले का नाम | अधिकृत नफरी | | | मौजुदा नफरी | | | रिक्तियां | | | कुल नियोजन |
| | | पुरूष | महिला | कुल योग | पुरूष | महिला | कुल योग | पुरूष | महिला | कुल योग | |
| 1 | अजमेर | 1660 | 60 | 1720 | 1399 | 52 | 1451 | 261 | 8 | 269 | **1341** |
| 2 | अलवर | 1310 | 80 | 1390 | 976 | 55 | 1031 | 334 | 25 | 359 | **817** |
| 3 | बांसवाड़ा | 330 | 35 | 365 | 272 | 30 | 302 | 58 | 5 | 63 | **262** |
| 4 | बारां | 530 | 20 | 550 | 453 | 2 | 455 | 77 | 18 | 95 | **344** |
| 5 | बाड़मेर | 455 | 20 | 475 | 405 | 3 | 408 | 50 | 17 | 67 | **307** |
| 6 | भरतपुर | 995 | 35 | 1030 | 802 | 30 | 832 | 193 | 5 | 198 | **499** |
| 7 | भीलवाड़ा | 770 | 35 | 805 | 675 | 32 | 707 | 95 | 3 | 98 | **518** |
| 8 | बीकानेर | 1025 | 35 | 1060 | 888 | 29 | 917 | 137 | 6 | 143 | **617** |
| 9 | बून्दी | 520 | 30 | 550 | 454 | 22 | 476 | 66 | 8 | 74 | **402** |
| 10 | चित्तौडगढ़ | 860 | 20 | 880 | 742 | 3 | 745 | 118 | 17 | 135 | **608** |
| 11 | चुरू | 530 | 20 | 550 | 451 | 13 | 464 | 79 | 7 | 86 | **209** |
| 12 | दौसा | 490 | 20 | 510 | 411 | 4 | 415 | 79 | 16 | 95 | **360** |
| 13 | धौलपुर | 420 | 20 | 440 | 368 | 1 | 369 | 52 | 19 | 71 | **237** |
| 14 | डूंगरपुर | 335 | 30 | 365 | 266 | 29 | 295 | 69 | 1 | 70 | **174** |
| 15 | श्रीगंगानगर | 690 | 40 | 730 | 589 | 34 | 623 | 101 | 6 | 107 | **359** |
| 16 | हनुमानगढ़ | 440 | 35 | 475 | 392 | 30 | 422 | 48 | 5 | 53 | **261** |
| 17 | जयपुर | 3275 | 220 | 3495 | 2940 | 214 | 3154 | 335 | 6 | 341 | **3055** |
| 18 | जैसलमेर | 420 | 20 | 440 | 362 | 1 | 363 | 58 | 19 | 77 | **214** |
| 19 | जालौर | 270 | 20 | 290 | 237 | 1 | 238 | 33 | 19 | 52 | **226** |
| 20 | झालावाड़ | 475 | 35 | 510 | 370 | 30 | 400 | 105 | 5 | 110 | **321** |
| 21 | झुन्झुनूँ | 305 | 25 | 330 | 276 | 25 | 301 | 29 | 0 | 29 | **168** |
| 22 | जोधपुर | 2270 | 110 | 2380 | 1984 | 132 | 2116 | 286 | -22 | 264 | **1335** |
| 23 | करौली | 420 | 20 | 440 | 368 | 1 | 369 | 52 | 19 | 71 | **211** |
| 24 | कोटा | 1945 | 70 | 2015 | 1733 | 49 | 1782 | 212 | 21 | 233 | **1085** |
| 25 | नागौर | 735 | 35 | 770 | 586 | 23 | 609 | 149 | 12 | 161 | **318** |
| 26 | पाली | 805 | 35 | 840 | 646 | 35 | 681 | 159 | 0 | 159 | **366** |
| 27 | प्रतापगढ | 310 | 20 | 330 | 280 | 0 | 280 | 30 | 20 | 50 | **180** |
| 28 | राजसमंद | 550 | 70 | 620 | 463 | 66 | 529 | 87 | 4 | 91 | **325** |
| 29 | सवाई माधोपुर | 600 | 20 | 620 | 557 | 3 | 560 | 43 | 17 | 60 | **509** |
| 30 | सीकर | 625 | 35 | 660 | 539 | 30 | 569 | 86 | 5 | 91 | **395** |
| 31 | सिरोही | 345 | 20 | 365 | 245 | 0 | 245 | 100 | 20 | 120 | **181** |
| 32 | टोंक | 710 | 20 | 730 | 554 | 17 | 571 | 156 | 3 | 159 | **355** |
| 33 | उदयपुर | 1210 | 110 | 1320 | 849 | 86 | 935 | 361 | 24 | 385 | **905** |
| | कुल योग | **26630** | **1420** | **28050** | **22532** | **1082** | **23614** | **4098** | **338** | **4436** | **17464** |

<u>सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों की नफरी के संबंध में विवरण</u>

| सीमा गृह रक्षा दल | | | (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | गण का नाम | स्वीकृत नफरी | ऑन रोल नफरी | रिक्त पद | कुल नियोजन |
| 1. | बाडमेर | 666 | 565 | 101 | 418 |
| 2. | जैसलमेर | 666 | 564 | 102 | 404 |
| 3. | बीकानेर | 666 | 559 | 107 | 428 |
| 4. | श्री गंगानगर | 666 | 574 | 92 | 462 |
| कुल योग | | **2664** | **2262** | **402** | **1712** |